FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्री जगदीश पिता मोती	बनाम	श्री कालु पिता मोती

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 239/2021 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
06.09.2021	वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का प्रकरण दिनांक 09.06.2021 को प्रस्तुत हुआ, जिस पर जांच किये जाने का भी कोई आदेश नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2021 को प्रार्थी के आवेदन के आधार पर उसकी विधिक आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 अपीलाण्ट को नोटिस दिये बिना एवं सुने बिना निर्णय पारित कर दिया, प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है क्योंकि किसी भी न्यायिक प्रकरण में किसी पक्षकार को सुने बिना उसके विरुद्ध कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टाया प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होने से अविधिक निर्णय है, अतएवं अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.11.2021 को उपस्थित हों। अति. संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)		